

न
अ
हु

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

ख्या - 199/2024 गजपत

प्रशासन गांवों के संग अभियांत्रिकी 202

वकील जी एच रामचंद्र प्रकाश कि डी.डी.या खेडा - हल्का गोरखवा

प्रार्थी.....

बनाम

हल्का 510 मजला प्रकाश कि डी.डी.या खेडा - हल्का गोरखवा

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 26/11/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम डी.डी.या खेडा पटवार हल्का गोरखवा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 76 आराजी नम्बर 3153 3154 3155 3156 3403

0.0126 / 0.5691 / 0.4047 / 0.2150 / 0.0632

कुल किता 5 रकबा 1.2646

भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26/11/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते गिरिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....

डी.डी.या खेडा पटवार हल्का गोरखवा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 76 आराजी नम्बर 3153 3154 3155 3156 3403

0.0126 / 0.5691 / 0.4047 / 0.2150 / 0.0632

कुल किता 5 रकबा 1.2646

पत्थर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-ख निरीक्षक गोरखवा को 600/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की गी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर गढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाड़ा

मपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाड़ा